Total Printed Page: 08 Roll No.....

LM-108

Insurance Law

4 chek fof/k ½

Master of Law LLM -12/16/17 Second year, Examination-2019

Time: 3 Hours Max. Marks: 80

Note:- This paper is of **Eighty** (80) marks divided into **three** (03) Section A, B and C. Attempt the question contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

ukly/ यह प्रश्न-पत्र अस्सी (80) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों क, ख तथा ग में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

Section-A 1/4[k. M&d1/2

(Long Answer Type Question) 1/2/1/2 mUkj ka Okys i t u½

Note:- Section 'A' contains four (04) long-answer-type questions of Nineteen (19) marks each. Learners are required to answer any two (02) questions only.

 $(2 \times 19 = 38)$

- uks// खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए उन्नीस (19) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
- Critically evaluate the principle of at most good faith in the light of present insurance regulation in India. परम सद्विश्वास के सिद्धान्त की वर्तमान भारतीय बीमा विनियम के प्रकाश में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
- Explain the nature of life insurance and discuss the settlement of claims and payment of money under life insurance law.
 जीवन बीमा की प्रकृति को समझायें तथा नीवन बीमा विधि के अन्तर्गत दावे के निपटारे एवं धन के भुगतान की विवेचना की जिये।
- Explain the nature of marine insurance and discuss voyage- deviation provisions under the marine insurance Act, 1963.

समुद्री बीमा की प्रकृति को समझाइयें एवं समुद्री बीमा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत यात्रा एवं व्यतिक्रम सम्बधित उपबन्धों की व्याख्या कीजिये।

 Discuss the nature of 'Fire insurance' and explain the term 'Fire' and 'Loss by Fire' under fire insurance law.

> अग्नि बीमा की प्रकृति की विवेचना कीजिये तथा अग्नि बीमा विधि के अन्तर्गत शब्द 'अग्नि द्वारा नुकसान' की व्याख्या कीजिये।

Section-B 4/[k. M& [k½

(Short Answer Type Question)@\\y?k\\ m\\kj k\\ Oky\\ i \tau\\k'

Note:- Section 'B' contains eight (08) short answer type questions of eight (08) marks each. Learners are required to answer any four (04) questions only.

(4×8=32)

- uks///& खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आठ (08) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
- Discuss the nature of Insurance contract.
 बीमा संविदा की प्रकृति की व्याख्या कीजिये।
- Explain principle of indemnity.
 क्षतिपृर्ति के सिद्धान्त को समझाइये।
- Discuss the principle of Subrogation.
 प्रत्यासन के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये।
- 4. Explain the circumstances affecting the risk.

 जोखिम को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों को
 समझाइयें।
- 5. What do you understand by perils of the sea? Explain.
 समुद्री जोखिम से आप क्या समझते हैं? विवेचना
 कीजिये।

- 6. Explain damage to property under property insurance.
 सम्पति बीमा के अन्तर्गत सम्पति के नुकसान को
 समझाइयें।
- Explain the principle of express warranty.
 अभिव्यक्त वारण्टी के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये।
- Explain goods in transit insurance.
 मार्गस्थ माल बीमा की व्याख्या कीजिये।

Section-C ¼[k. M&X½

(Objective Type Questions) / (OLr[u"B i i u)

Note:- Section 'C' contains ten (10) objective type questions of One (01) marks each. All the questions of this section are compulsory.

 $(10 \times 1 = 10)$

नोट:- खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं,
प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित हैं। इस
खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

1.	Hindu philosophy explains nature of Insurance as
	'Yat bhavathi tat nasyathi' with means
	हिन्दू दर्शन बीमा की प्रकृति की व्याख्या 'यत् भवति
	तत न्सयथि' के रूप में करता है, से तात्पर्य है
2.	Life insurance is a husband " a
	wife"and a child"
	जीवन बीमा एक पति का एक पत्नी
	काहै।
3.	The maxim 'ex Turpi cause non Orituractio'
	means
	सूत्र ' एक्स टरपी कोजा नान ऑरीटर एक्सीयों' से
	तात्पर्य है।
4.	In insurance Act, 1938, section provides for
	payment of money into Court.
	बीमा अधिनियम, 1938 में, धारा
	न्यायालय में धन के भुगतान को बताती है।

5.	In life Insurance, the Insurer is bound to make the
	payment to the rightful claimant on the maturity of
	the policy or of the assured.
	जीवन बीमा में, बीमाकर्ता पॉलिसी की परिपक्ता पर
	अथवा बीमाकृत व्यक्ति की पर
	अधिकृत दावाकर्ता को भुगतान करने के लिये बाध्य है।
6.	In India, the insurance Act, 1938 defined the term fire
	insurance business under section
	भारत में, बीमा अधिनियम, 1938, अग्नि बीमा व्यापार
	को धारामें परिभाषित करता हैं।
7.	In order to constitute a loss covered by a fire policy,
	there must be an actual
	अग्नि पॉलिसी के अन्तर्गत हानी को स्थापित करने के
	क्रम में, वास्तविक आवश्यक है।
8.	In the marine insurance Act, 1963, a contract of
	marine insurance is defined under section
	समुद्री बीमा अधिनियम, 1963 में, एक समुद्री बीमा की
	संविदा धारा के में परिभाषित है।

9.	The marine insurance Act in its Section
	lays down the contents of the marine policy.
	समुद्री बीमा अधिनियम की धारामें समुद्री
	पॉलिसी के तत्वों को दिया गया है।
10.	Sections 44-51 of The Marine Insurance Act, 1963 with
	समुद्री बीमा अधिनियम की धारा ४४–५१
	सम्बन्धित है।
